

४३

(13)

## इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक : 100 / प्र0अ0—भवन / जोन-1 / 2011-12 दिनांक 12/07/2012

### अनुमति-एत्र



यह अनुमति उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर प्रस्तावित आवासीय भवन मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्रीमती सुनीता पाण्डेय पत्नी श्री बृजेश कुमार पाण्डेय, श्रीमती रत्ना पाण्डेय पत्नी श्री सुरेश चन्द्र पाण्डेय, श्रीमती संगीता पाण्डेय पत्नी श्री राजेश कुमार पाण्डेय स्थल जार्ज टाउन विस्तार योजना के भूखण्ड संख्या-97 का पार्ट एवं भवन संख्या-18/26 हाशिमपुर रोड, इलाहाबाद का जुज भाग जोन संख्या (1) के अन्तर्गत आवासीय निर्माण की अनुमति हेतु दाखिल भवन मानचित्र के प्रस्तावित भाग पर निर्माण की अनुमति निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्राविधानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपभोग/अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में उपविधि संख्या-2.1.8 एवं 3.1.8 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण—पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अनन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्त पूर्ण करने के पश्चात्, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण—पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग में लाया जा सकेगा।
3. स्वामित्व सम्बन्धी किसी भी विवाद पर मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
4. स्थल पर 4X3 फिट का एक बोर्ड लगाकर स्वीकृति सम्बन्धी विवरण अंकित करना होगा।
5. स्थल पर 04 अद्द वृक्ष लगाने होगे तथा वृक्षों को हरा—भरा रखने का दायित्व आवेदक का होगा।
6. स्थल का अधिभोग/उपयोग स्वीकृत प्रस्तावना के अनुसार आवासीय प्रयोजन हेतु ही करना होगा।
7. रेनवाटर हार्डस्टिंग का कार्य मानक के अनुसार पूर्ण करते हुए भू—गर्भ जल विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
8. यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।
9. यह स्वीकृत पत्र केवल पाँच वर्ष की अवधि के लिए है। यदि भूखण्डों का उप—विभाजन अथवा पार्क एवं रोड इत्यादि का अतिक्रमण विकासकर्ता द्वारा किया जाता है तो इ0विंप्रा0 द्वारा नियमानुसार उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

*स्वीकृत पत्र  
अनुमति दिनांक  
18/07/2012*

Continued





DISMANTLE WORK SHOWN THIS   
PROPOSED WORK SHOWN THIS

PROPOSED BUILDING PLAN OF PART OF  
HOUSE NO. 16/26 SITUATED AT MOHALLA  
HASHIMNAGAR ROAD PART OF PLOT NO.  
GEORGE TOWN EXTENSION SCHEME  
DISTT: ALIGARH  
SCALE: 1:100


BY MR. RATNA PANDEY  
CON. NO. C0210151643  
1216, Kalmi Nagar  
Aligarh-210005

SANGEETA PANDEY  
RAJESH KUMAR PANDEY



SECOND FLOOR PLAN  
MASTER PLAN - 2021  
TO JAWAHAR NAGAR ROAD  
TO SWAMI CHANDRA NAGAR ROAD

FIRST FLOOR PLAN



BY MR. RATNA PANDEY  
CON. NO. C0210151643  
1216, Kalmi Nagar  
Aligarh-210005

SANGEETA PANDEY  
RAJESH KUMAR PANDEY

PROPOSED BUILDING PLAN OF PART OF HOUSE NO. 18/26 SITUATED AT MOHALLA HASHIMNAGAR ROAD PART OF PLOT NO. GEORGE TOWN EXTENSION SCHEME DISTT: ALIGARH SCALE: 1:100	
<b>OWNER:</b> (1) SMT. RATNA PANDEY W/O SHRI. SURESH CHANDRA PANDEY (2) SMT. SUNITA PANDEY W/O SHRI. BRUESH KUMAR PANDEY (3) SMT. -SANGEETA PANDEY W/O SHRI. RAJESH KUMAR PANDEY	